

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 318/17
संस्थापन दिनांक:-15/05/17

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

राजेश पिता रमेश बामने
 उम्र 30 वर्ष, निवासी बरसानी
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 26.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 01.05.2017 को रात करीब 09:00 बजे, थाना आमला से 14 किमी पश्चिम में ग्राम बरसाली बैतूल स्थित फरियादी का मकान में प्रार्थिया राधिका के पति होते हुए उसके प्रति क्रूरता कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी राधिका का विवाह अभियुक्त राजेश से एक वर्ष पूर्व हुआ था। फरियादी का राजेश से एक बच्चा है। अभियुक्त राजेश किराना दुकान चलाता है। अभियुक्त फरियादी के साथ शादी के बाद से ही खाना बनाने, खाने की बात पर से झगड़ा मारपीट करता था। दिनांक 01.05.2017 को शाम 8-9 बजे राजेश दुकान से घर आया और बच्चे को नया कपड़ा पहनाने की बात पर से गंदी गंदी मां बहन की गालियां देकर हाथ मुक्के से मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 229/17 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं विवाह की फोटो ग्राफ जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.05.2017 को रात करीब 09:00 बजे, थाना आमला से 14 किमी पश्चिम में ग्राम बरसाली बैतूल स्थित फरियादी का मकान में प्रार्थिया राधिका के पति होते हुए उसके प्रति क्रूरता कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 राधिका (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त राजेश उसका पति है। उसकी शादी वर्ष 2016 में अभियुक्त के साथ जाति रीति रिवाज से हुई थी। उसका अपने पति/अभियुक्त से बच्चे को कपड़े पहनाने की बात पर से विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आकर उसने अपने पति के विरुद्ध (प्रदर्श पी-1) की रिपोर्ट लिखवा दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

7 साक्षी राधिका (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका पति उसे खाना बनाने की बात पर से एवं कभी छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर झगड़ा करता था एवं मानसिक रूप से परेशान करता था तथा इसी बात को लेकर उसे मारपीट करता था। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि दिनांक 01.05.2017 को रात करीब 8-9 बजे उसके पति ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए हाथ मुक्के से मारपीट की थी और घर से निकाल दिया था तथा जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस सुझाव को गलत बताया है कि शादी

के बाद अभियुक्त उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। स्वतः मैं व्यक्त किया है कि मामूली विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने की थी। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कूरता कारित की हो। निष्कर्षतः अभियुक्त राजेश को धारा 498-ए भा०दं०सं० के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)